केसीआर पर कांग्रेस का तंज, प्लास्टिक सर्जरी करने से डीएनए नहीं बदलेगा

हैदराबाद, 14 दिसंबर
(विलाप भूमि)

कांग्रेस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) करने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करने से डीएनए नहीं बदलने वाला है। बता दें बीआरएस एवं केसीआर को बीआरएस ही तेल घोंपेः पार्टी के सीनियर एवं प्रवक्ता शशुख पसल खेड़ा ने यह भी कहा कि चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के तेलंगाना स्थित कार्यालय पर पुलिस की कार्रवाही किसी दलालोक और तानाशाही के सिर भी नहीं है।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि केसीआर तेलंगाना में लोकतंत्र का नाम भेंट रहे हैं। केसीआर और तेलंगाना सरकार के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ ईडीनगी करने को लेकर पुलिस ने भंगलवार को कार्रवाह के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के चार्ट स्थित कार्यालय पर छापा मारा था।

तेलंगाना परेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लाइट फार्मर्स्टोन्स, इकबाल टैक्स, सीमेंटलाई और टेक्सटाइल जैसे केसीआर की पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि संसद में पीछा मिलने पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे।

टीआरएस का नाम बीआरएस करने को लेकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना का नाम मिटाना चाहते हैं। तेलंगाना में जो भावना विलय का, उसे मिटा रहा। हो सकता है कि वे अपनी पार्टी का नाम अंतरराष्ट्रीय कर दें। उन्होंने साथ किया कि केसीआर के पुत्र केटी रामाराव को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि केसीआर तेलंगाना का नाम बीआरएस करने को लेकर चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना का नाम बीआरएस करने के दुष्प्रचार के जरिए जो उपलब्धि दे। केसीआर और तेलंगाना सरकार के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ ईडी नगी करने को लेकर पुलिस ने भंगलवार को कार्रवाह के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के चार्ट स्थित कार्यालय पर छापा मारा था।

मसाज सेंटर पर छापा

हैदराबाद, 14 दिसंबर
(विलाप भूमि)

जुबली हिल्स पुलिस ने काल राज मसाज सेंटर पर छापा मारकर क्रॉस मसाज का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मसाज सेंटर मालकों से मिली जानकारी के आधार पर विल्म नगर स्थित ओरियन लेक मसाज सेंटर पर छापे की कार्रवाई की गई। मसाज सेंटर में कुछ दिन से महिलाओं के आदिर पुरुषों का मसाज किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने मसाज सेंटर के संचालक मालिक सुरेश और शिवाजन को गिरफ्तार कर लिया।

शर्मिला के घर के पास से बैरिकेड हटाने के आदेश

हैदराबाद, 14 दिसंबर
(विलाप भूमि)

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष वाई एस. शर्मिला की याचिका को रोकारे, उनके घर के सामने लगाए गए बैरिकेड हटाने के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि शर्मिला को पदयात्रा करने का अधिकार है लेकिन वो पुख्ता कारण बिना अतिरिक्त सावधान और सुरक्षात्मकाही भी बीआरएस के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान के दौरान के दौरान